Mahindra FINANCE

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाइनैंशियल सर्विसेस लि.
पंजीकृत कार्यालयः गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई-400 001
कॉरपोरेट कार्यालयः बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्ता कॉरपोरेट पार्क, पीरामल अमिटी बिल्डिंग, कमानी जंक्शन, कुर्ला वेस्ट मुंबई-400 070

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए) सरफेसी अधिनियम के नियम 8(1) एवं नियम

चूंकि, **महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाइनैंशियल सर्विसेस लि.** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने **वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002** के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत दिनांक **16 जुलाई, 2025** को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें **मैसर्स मार्वल डिस्पोजल हाउस देवास (कर्जदार), श्री महेन्द्र वर्मा (सह-कर्जदार 1) तथा श्रीमती पूजा वर्मा (सह-कर्जदार 2)** को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम **रु. 25,83,600.57 (रुपये पच्चीस लाख तिरासी हजार छह सौ एवं पैसे सत्तावन मात्र)** चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदार द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में विफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के साथ पठित कथित नियम के नियम 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी ने **दिनांक 25 सितम्बर, 2025** को यहां निम्नलिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष तौर पर कर्जदार/ों तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां उल्लेखित संपत्ति (प्रत्याभूत संपत्ति) से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा **रु. 25,83,600.57 (रुपये पच्चीस लाख तिरासी हजार छह सौ एवं पैसे सत्तावन मात्र)**, जैसा कि यहां उल्लेखित है, साथ में उस पर ब्याज की रकम के लिए **महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मद सं. 1 - वार्ड सं. 42, चंद्रलोक नगर कॉलोनी, देवास, मध्य प्रदेश-455001 में स्थित सरल सं. 632 वाले प्लॉट सं. 48-ए के पूर्वी हिस्सा, परिमाप 681.86 वर्ग फीट (63.37 वर्ग मीटर), का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। **चौहद्दी निम्नानुसारः पूर्व की ओरः** अमित कुर्रे का मकान, **पश्चिम की ओरः** प्लॉट सं. 48-ए का शेष भाग, **उत्तर की ओरः** कॉलोनी सड़क, **दक्षिण की ओरः** प्लॉट सं. 61ए

तारीखः 30-09-2025 **हस्ता/-, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**
स्थानः देवास, मध्य प्रदेश **महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाइनैंशियल सर्विसेस लि.**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, सीआईएन : U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के परिशिष्ट 8(1) के अनुसार

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखित के अनुसार माँग सूचना निर्गत की।

कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने तहसीलदार के माध्यम से, नीचे उल्लिखित न्यायालयों द्वारा नीचे उल्लिखित प्रकरण संख्या में पारित आदेश के आलोक में यहाँ वर्णित संपत्ति पर भौतिक कब्जा कर लिया है तथा उक्त तहसीलदार ने **भौतिक कब्जा** अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन माँग सूचना की तिथि से नीचे सन्दर्भित राशि तथा उस पर ब्याज और नीचे उल्लिखित तिथि से दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	माँग सूचना के अनुसार राशि	माँग सूचना की तिथि	आदेश दिनांक
			कब्जे की तिथि	प्रकरण संख्या
10628749	श्री सुरेंद्र सिंह राय (कर्जदार) श्रीमती मालती शर्मा (सह-कर्जदार)	रु. 16,53,164/-	10-08-2021	11-04-2022
			26-09-2025	प्रकरण संख्या 281/बी-121/ 2021-2022 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भोपाल

प्रतिभूत आस्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः एक आवासीय फ्लैट पर उक्त अचल संपत्ति का समस्त भाग, फ्लैट संख्या एमआईजी-405 चौथी मंजिल पर स्थित, क्षेत्रफल 786.23 वर्ग फीट यानी 73.07 वर्ग मीटर, 'सेंट वैली' परियोजना, नगर निगम भोपाल वार्ड संख्या 85 में भू-राजस्व सर्वेक्षण संख्या 04, रकबा 0.140 हेक्टेयर, पटवारी हल्का संख्या 43/25 का भाग, ग्राम कटारा, विकासखंड फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश

सीमाएंः- पूर्व में खुला क्षेत्र, पश्चिम में सामान्य मार्ग, उत्तर में खुला क्षेत्र, दक्षिण में फ्लैट संख्या एमआईजी-406

तिथि : 30.09.2025 **हस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी**
स्थान : भोपाल **कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नंबर 1117 और 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, उ.प्र. 201 301

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी रोहा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद ''आरएचएफफीएल'' से संदर्भित), जिसका पंजीकृत कार्यालय जेजेटी हाउस, ए 44/45, रोड सं. 2, एमआईडीसी, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400 093 पर स्थित के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के सहपठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आप निम्न वर्णित उधारकर्ताओं(निम्न वर्णित नाम और पता) को उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लेखित कुल बकाया राशि को चुकाने का आह्वान किया गया। चूंकि निम्न उल्लेखित उधारकर्ताओं राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, एतद् द्वारा निम्न वर्णित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के तहत उसे प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर **भौतिक कब्जा** ले लिया है। विशेष रूप से उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को आगाह किया जाता है कि वे उल्लेखित संपत्तियों से कोई भी व्यवहार न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी व्यवहार निम्म वर्णित राशि और उस पर ब्याज सहित रोहा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है, ताकि प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाया जा सके।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम /ऋण खाता सं./शाखा	संपत्तियों की अनुसूची	मांग सूचना दिनांक और राशि	कब्जे का प्रकार और दिनांक
1.	ऋण खाता सं. : HLINDRSCPR000005010843 शाखा : इंदौर क्लस्टर 1. श्री अजय देवले 2. ममता देवले 3. राजू देवले 4. सोमा देवले	अचल संपत्ति धारकः नगर बड़वाह, पी.एच.सं. 48 सर्वे सं. 47/3 और 47/4, प्लॉट सं.-66 का भाग, मापक क्षेत्र 48.30 वर्ग मीटर दक्षिण भाग, सावारिया विहार कॉलोनी, बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश - 452002, (भारत) का संपूर्ण व सवांगीण भाग।	11.06.2025 और रूपये 12,52,119/-	24.09.2025 (भौतिक)

दिनांक : 24.09.2025, स्थान : बड़वाह **प्राधिकृत अधिकारी, रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**

येस बैंक लिमिटेड

शाखा पताः येस बैंक लिमिटेड, वार्ड नं. 8, आरएम टॉवर म्यूनिसीपल नं. 269, गोराकुंड चौराहा, निकट रजवाड़ा, महात्मा गाँधी रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण और विशेष रूप से कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानती और बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक/प्रभारित अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिनका येस बैंक लि. अर्थात प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया है, से अधोल्लिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानती और बंधककर्ताओं से प्रत्याभूत ऋणदाता को देय अधोल्लिखित बकाया राशि की इस पर अनुबंधित दर से आगे की ब्याज और प्रभारों सहित वसूली के लिए **जहाँ है", "जहाँ है, जैसी है" और "जो भी है"** आधार पर **04 नवंबर, 2025** को बिक्री की जायेंगी।

क्र. सं.	कर्जदार और सह-कर्जदार के नाम, जमानती	मांग नोटिस की राशि	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि जमा (रु.)
1	**मैसर्स शंकर मार्केटिंग पीपल** अपने प्रोपराइटर राजकुमार हिरवानी के माध्यम से (आवेदक) **राजकुमार हिरवानी पुत्र प्रहलाद राय हिरवानी,** **सरिता हिरवानी पत्नी राजकुमार हिरवानी, और** **रवि हिरवानी पुत्र राजकुमार हिरवानी** (सह-आवेदक)	रु. 50,15,176/- दिनांक 23 दिसंबर 2022 को	संपत्तिः- दुकान नंबर 37-ए, ग्राउंड फ्लोर, भोपाल प्लाजा, लीजहोल्ड लैंड रेवेन्यू सर्वे नंबर 409, 410, 1598/408, 1599/408, लक्ष्मी टॉकीज से बाल विहार रोड, वार्ड नंबर 19, भोपाल (मध्य प्रदेश) के समस्त भाग व खंड। **बंधक संपत्ति की सीमाएँ**:- पूर्वः एमओएस/बाल विहार रोड, पश्चिमः कॉमन कॉरिडोर, उत्तरः दुकान नंबर 37, दक्षिणः सीढ़ियाँ और कॉमन रास्ता	रु. 47,54,750/-	रु. 4,75,475/-
2	**मैसर्स रविन्द्र कटियार** (आवेदक) **प्रियंका कटियार** (सह-आवेदक)	रु. 31,91,131.41/- दिनांक 19 मई 2023 को	संपत्ति फ्लैट संख्या 502 (एचआईजी), क्षेत्रफल- 98.34 वर्ग मीटर, अलार्क रेजीडेंसी, गाँव- बड़वई वार्ड संख्या 75, भोपाल तहसील हुजूर-भोपाल के समस्त भाग व खंड। **बंधक संपत्ति की सीमाएँ**:- पूर्वः कॉरिडोर, पश्चिमः सड़क, उत्तरः फ्लैट संख्या 503, दक्षिणः फ्लैट संख्या 501	रु. 34,17,340/-	रु. 3,41,734/-

ई-नीलामी की तिथि व समयः 04.11.2025 को पूर्वा. 11 से अप. 2 तक प्रत्येक 5 मिनट अवधि के विस्तारों के साथ
बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 03.11.2025
संपत्ति के निरीक्षण की तिथिः 29.10.2025

बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों के लिए कृपया प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात www.yesbank.in या https://sarfaesi.auctiontiger.net पर दिया लिंक https://www.yesbank.in/about-us/media/auction-property देखें।

निविदा दस्तावेज / ई-बोली सूची या अचल संपत्तियों / प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के निरीक्षण और प्रश्नों के लिए किसी भी कठिनाई के मामले में, कृपया **येस बैंक लिमिटेड** के संबंधित अधिकारियों, **आयुष सैनी** (ayush.saini@yesbank.in) **मोबाइल नंबर - 7000915150** और मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद के अधिकारियों से संपर्क करें, बोलीदाता सहायता संख्याः 9265562821 | 9265562819 | 9265562818 ईमेलः support@auctiontiger.net । **किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, इच्छुक खरीदार हमें निम्न ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं- DL_Property_Auction_Team@YESBANK.IN**

कर्जदार/जमानतियों को बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत उपर्युक्त को 30 दिन का नोटिस माना जाए।

दिनांकः 30.09.2025 हस्ता./- **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः इंदौर **येस बैंक लिमिटेड**

रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नंबर 1117 और 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, उ.प्र. 201 301

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी रोहा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद ''आरएचएफफीएल'' से संदर्भित), जिसका पंजीकृत कार्यालय जेजेटी हाउस, ए 44/45, रोड सं. 2, एमआईडीसी, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400 093 पर स्थित के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के सहपठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आप निम्न वर्णित उधारकर्ताओं(निम्न वर्णित नाम और पता) को उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लेखित कुल बकाया राशि को चुकाने का आह्वान किया गया। चूंकि निम्न उल्लेखित उधारकर्ताओं राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, एतद् द्वारा निम्न वर्णित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के तहत उसे प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर **भौतिक कब्जा** ले लिया है। विशेष रूप से उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को आगाह किया जाता है कि वे उल्लेखित संपत्तियों से कोई भी व्यवहार न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी व्यवहार निम्म वर्णित राशि और उस पर ब्याज सहित रोहा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है, ताकि प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाया जा सके।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम/ ऋण खाता सं./शाखा	संपत्तियों की अनुसूची	मांग सूचना दिनांक और राशि	कब्जे का प्रकार और दिनांक
1.	ऋण खाता सं. : LASEHRLPCM 000005003841 शाखा : सिहोर 1. श्री राहुल सैन पुत्र संतोष सैन (आवेदक) 2. श्रीमती चंदा सैन पत्नी संतोष सैन (सह-आवेदक)	अचल संपत्ति धारक व्यावासायिक दुकान और आवासीय मकान जिसका मापक क्षेत्र 437.5 वर्ग फुट का भूमि से जुड़ा अविभाजित हिस्सा समानुपातिक हिस्सा और परिसर/कैंपस के सभी आंतरिक और बाहरी अधिकारों ज्ञात सर्वे सं. 157/1, 158 जो स्थित ग्राम- अहमदपुर, पटवारी हल्का सं.17, आर.एन.एम.-01, तहसील श्यामपुर जिला सिहोर, मध्य प्रदेश	15/10/2024 और रूपये 6,81,922/-	25.09.2025 (भौतिक)

दिनांक : 25.09.2025, स्थान : सिहोर **प्राधिकृत अधिकारी, रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रीयल एस्टेट गुइंडी, चेन्नई - 600 032 तमिलनाडु . शाखा कार्यालय:- क्रमांक 65, प्रथम तल, नीलम नैय्यर भवन, स्टेशन रोड, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी शाजापुर - 465001 शाखा कार्यालय: क्रमांक 42/2, भूतल, मेन रोड, पारस जोन, रेलवे क्रॉसिंग के पास नरसिंहपुर - 487001

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 [2] के अंतर्गत मांग नोटिस

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / बंधककर्ता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने आपके खिलाफ प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरू की है और आपको पंजीकृत डाक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस भेजा गया था। उधारकर्ता / उधारकर्ताओं के लिए देय खाता बिना वितरित किए वापस आ गया है। इसलिए, आपको इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस लेने और उक्त खाते के खिलाफ उल्लिखित बकाया ऋण राशि का भुगतान ब्याज के साथ करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल होने पर कंपनी ब्याज और लागतों के साथ अपने बकाए को वसूलने के लिए नीचे उल्लिखित प्रतिभूति को लागू करके अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके आपके खिलाफ आगे बढ़ेगी। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह नोटिस कंपनी के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपको संबोधित है।

अनु क्र.	ऋण खाता संख्या एवं उधारकर्ता/ऋणियों का नाम और पता	ऋण राशि (यों)	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि
1.	**ऋण खाता क्रमांक HE01DEW00000042778 एवं HE01DEW00000108697 1. बलवान सिंह (आवेदक), 2. जीतेन्द्र सिंह राजपूत (सह-आवेदक), 3. संतोष बाई राजपूत (सह-आवेदक), 1 से 3 पता:** मकान 13 ग्राम भादोनी तह-शाजापुर भादोनी शाजापुर मध्य प्रदेश 465001 **2. देव कृपा ऑइल इंडस्ट्रीज एंड देव श्री कपास्या खाली (सह-आवेदक),** दुपाड़ा भादोनी रोड शाजापुर शाजापुर मध्य प्रदेश 465001 **3. संतोष बाई (सह-आवेदक),** ग्राम भादोनी पोस्ट शाजापुर जिला शाजापुर शाजापुर मध्य प्रदेश 465001	रु. 5100000.00 एवं रु. 1000000.00	11/09/2025 रु. 5774094.00 11/09/2025 तक
	संपत्ति का विवरण : संपत्ति 1:- संपत्ति का संपूर्ण हिस्सा एवं भाग, मकान नंबर 13, पटवारी हल्का नंबर 31, गांव भादोनी, तहसील और जिला शाजापुर, कुल क्षेत्रफल 6105 वर्ग फीट, **सीमाएं निम्नानुसार :- पूर्व में:** श्री भरत सिंह पुत्र श्री मदन सिंह का मकान, **पश्चिम में:** श्री बने सिंह पुत्र श्री मोती सिंह का मकान, **उत्तर में:** करेडी रोड, **दक्षिण में:** मालिक की जमीन। **संपत्ति 2:-** संपत्ति का संपूर्ण हिस्सा एवं भाग, सर्वे क्रमांक 460, पटवारी हल्का क्रमांक 31, ग्राम भादोनी, तहसील एवं जिला शाजापुर, कुल क्षेत्रफल 0.120 एचटी, **सीमाएं निम्नानुसार :- पूर्व में:** श्री गोरधन सिंह पुत्र श्री देवी सिंह की भूमि, **पश्चिम में:** श्री लाडकुंवरबाई का प्लॉट, **उत्तर में:** विक्रेता की शेष भूमि, **दक्षिण में:** करेडी रोड।		
2.	**ऋण खाता क्रमांक ML01HRU00000078196 1. अंजू चौकसे (आवेदक),** सोनी मोहल्ला, साईं खेड़ा नरसिंहपुर म.प्र-487661 **2. घर की रसोई (सह-आवेदक),** झाकोली रोड साईं खेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 487661 **3. ऋषिका चौकसे (सह-आवेदक),** वार्ड नंबर 04 झिकोली रोड साईं खेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 487661 **4. रितिक चौकसे (सह-आवेदक),** साईं खेड़ा झिकोली रोड साईं खेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 487661	रु. 2460000.00	11/09/2025 रु. 2581105.00 as on 11/09/2025 तक
	संपत्ति का विवरण : संपत्ति का संपूर्ण हिस्सा एवं भाग, आबादी खसरा नंबर 230, मौजा साईखेड़ा वार्ड नंबर 05 महात्मा गांधी वार्ड, एस. नंबर 433 पटवारी हल्का नंबर 9/32 रनम और ब्लॉक साईखेड़ा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर, कुल क्षेत्रफल 1298 वर्ग फीट, **सीमाएं निम्नानुसार : - पूर्व में:** शिवम शर्मा और अमित नगाइच, **पश्चिम में:** राजू तोमर का मकान, **उत्तर में:** विजय जैन का मकान, **दक्षिण में:** साईखेड़ा झिकौली रोड।		

दिनांक : 30. 09. 2025, स्थान : मध्य प्रदेश, हस्ते /- (प्राधिकृत अधिकारी), चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

---

pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-A अचल संपत्ति/यों हेतु ई-नीलामी सार्वजनिक बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के सहपठित नियम 8(6) के प्रावधान के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय ई-नीलामी सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-23357171, 23357172, 23705414,, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, 46 अहुजा टॉवर, नेपियर टॉउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482001

एतद्द्वारा आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से कॉलम नंबर-ए में इंगित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति(यों) जो कॉलम नंबर-डी में वर्णित है प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक/प्रभारित हैं, जिसमें से रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कि कॉलम नंबर-सी में वर्णित है) को मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल)/प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जो जहां है, जो है जैसा है, और वहां जो कुछ भी है आधार''** पर निम्न उल्लेखित विवरण के अनुसार बेचा जाएगा। एतद्द्वारा संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(ओं), उत्तराधिकारी(ओं), संपत्तिभागि(यों) को सूचना दी जाती है चूंकि इस मामले को आज की दिनांक में संशोधित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियमों के नियम-8(6) और 9 के तहत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया जा सकता है।बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया **मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com** में दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

ऋण सं./उधारकर्ता /सह-उधारकर्ता/ गारंटर(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम (A)	मांग राशि और दिनांक (B)	कब्जे का प्रकार (C)	बंधक संपत्तियों का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (E)	ईएमडी (आरपी का 10%)(F)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक(G)	बोली वृद्धि मूल्य(H)	निरीक्षण की दिनांक और समय (I)	नीलामी की दिनांक और समय (J)	ज्ञात ऋण भार/न्यायालय मुकदमा अगर कोई है (K)
HOU/JBL/0621/888993 जोगेंद्र सिंह ठाकुर/सोनम सिंह ठाकुर शाखा : जबलपुर	रूपये 24,03,634.84/- और दिनांक 21.04.2024	भौतिक कब्जा	मोजा गुर्दा पीएच 81/24, एनबी 600 प्लॉट सं. 67, ख स्. 144/1 का भाग, आरएनएम महाराजपुर, शशि सिटी, पानगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482001, जबलपुर, भारत (1296 वर्ग फुट)	रु. 13,64,000/-	रु. 1,36,400/-	15.10.2025	रु. 10,000/-	10.10.2025 दोपहर 12:00 बजे से अपर्राह्न 04:00 बजे	16.10.2025 अपर्राह्न 02:00 बजे से अपर्राह्न 03:00 बजे	ज्ञात नहीं

***आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि भुगतान की दिनांक तक खर्च किए और/या वसूली के रूप में एक साथ लागू @18% वार्षिक भविष्य के ब्याज के साथ** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना में ऊपर वर्णित अचल/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य भार/दावा नहीं है, केवल कॉलम नंबर-के में उद्घाटित को छोड़कर। इसके अलावा सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपने द्वारा इस प्रकार की भार ओं को पूरा/भुगतान किया जाना चाहिए। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे उल्लेखित भार की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।**

(1) आज की दिनांक में, पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उरोक्त अचल संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को बेचने, विमुख करने और/या निपटाने से कोई आदेश निरोधक और/या न्यायालय निषेधाज्ञा नहीं है। **(2)** संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में सिफारिश का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि कोई हो, कॉलम नं. के में वर्णित है। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध दस्तावेजों के शीर्षक के शीर्षक तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव(ओं) बनाने से पहले सभी मामलों में खुद की संतुष्टि कर लें। बोली लगाने वाले को बोली फॉर्म के साथ-साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **(3)** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के संदर्भ में, बोलीदाता(ओं)/क्रेता कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (बयाना पैसे शामिल है, यदि कोई हो, जमा) एक ही दिन या अगले कार्य दिवस से बाद में नहीं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रत्याभूत ऋणदाता द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोलीदाता(ओं) के पक्ष में बिक्री कीपुष्टि की जा सकती है। बिक्री राशि का शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की दिनांक से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जमा किया जाना है और इस जमा के चूक में, संपत्ति/प्रत्याभूत परिसंपत्ति कीफिर से बेचा जाएगा। **(4) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा। जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट सं.68, तीसरा तल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003, वेबसाइट-www.bankeautions.com संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने या किसी अन्य जानकारी या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, आपको पीएनबीएचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी श्री विवेक लोधा से टोल फ्री नं. 1800 120 8800, के साथ समन्वय करना होगा या www.pnbhousing.com का संदर्भ लेना होगा।**

स्थान : जबलपुर **दिनांक : 30.09.2025** हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ASIRVAD MICRO FINANCE LTD

CIN U65923TN2007PLC064550
9th and 10th Floor, No 9, Club House Road, Anna Salai,
Chennai 600 002. Tamil Nadu.
Tel:044-42124493

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16/10/2025 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची:

मध्य प्रदेश बड़वानी ठीकरी-जीएल, 330170700001354 भोपाल बेरसिया-जीएल, 328880700003162 3177, छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव-जीएल, 329480700001775, धार राजगढ़ धार-जीएल, 329270700000215 रामगढ़ डिंडोरी-जीएल, 328900700002131 2116, 2185, 2095, ग्वालियर भितरवार-जीएल, 341680700001003 1021, 0710, नरसिंहपुर भिटोनी-जीएल, 329790700001324 मुरेना अम्बाह-जीएल, 329620730005876 5816, राजगढ़ खिलचीपुर-जीएल, 328430700001421 कुरावर-जीएल, 328590700001907 पचोर-जीएल, 328890730000086 राजगढ़-जीएल, 328460700002111 328460730003704 सीहोर इछावर-जीएल, 328730700001550 1561, 1590, 1547, 1559, 328730730002842 2793, नसरुल्लागंज-जीएल, 328990700001903 1875, 1877, 1909, रेहटी-जीएल, 329160700001718 1707, 1708, विदिशा कुरवाई-जीएल, 328600730007139, 7070 लेटरी-जीएल, 341290730006164

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:- इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू.10,000/- नीलामी के दिन नकद जमा कराना होगा (असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलीकर्ता को वैध पहचना प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 9025401720 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी
आशिर्वाद माइक्रो फायनांस लि.

Bandhan Bank

रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छ: रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी। ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कर्जदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे लोन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अतः आप कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर वह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा। सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/वापस लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

ऋणियों के नाम, गेरन्टर और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूती आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
श्रीमती शोभारानी सिंह श्री रणजीत सिंह ठाकुर श्री राजा सिंह ठाकुर और अन्य सभी कानूनी उत्तराधिकारी और स्वर्गीय श्री दामोदर सिंह की संपत्ति और संपदा के उत्तराधिकारी 20008090001712	सभी चल और अचल संपत्ति, जो सभी वर्तमान और भावी संरचनाएं सहित खसरा संख्या 239/4/1, 239/4/2, पीएच संख्या 72, सर्किल सागर -2, नगर पालिका मकरोनिया, वार्ड संख्या 15 का भाग गोपेश्वर वार्ड, तहसील और जिला सागर, मध्य प्रदेश 466001, लगभग 900 वर्ग फुट क्षेत्रफल स्थित है और जो आवरित है: उत्तर: सगीर खान का प्लॉट, पूर्व: 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: प्लॉट का शेष भाग, दक्षिण: सगीर खान की संपत्ति	फ़रवरी 28, 2025	सितंबर 24, 2025	रू.12,07,581.55
श्री दीपक कदम श्रीमती सुनीता कदम 90000000607171	सभी चल और अचल संपत्ति, जो सभी वर्तमान और भावी संरचनाएं सहित मौजा कुलहरदा, व्यपवर्तित भूमि खसरा संख्या 201/5, पी.एच. संख्या 10/62, वार्ड संख्या 28, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, प्लॉट संख्या 47, हरदा, तहसील और जिला हरदा (मध्य प्रदेश) स्थित है और जो आवरित है: उत्तर: कॉलोनी का निस्तारी रास्ता, पूर्व: विक्रेता की शेष संपत्ति, पश्चिम: कॉलोनी की चारदीवारी, फिर शिवन कटिका कॉलोनी, दक्षिण: पिला बंगला कॉलोनी	जून 24, 2025	सितंबर 24, 2025	रू.3,72,924.87
श्री अमितेश मालवीय श्रीमती सपना मालवीय श्रीमती गीता मालवीय 20008220000593	संपत्ति 1 सभी चल और अचल संपत्ति, जो खसरा नंबर 75/2, पटवारी हल्का नंबर 25/14, सेटलमेंट नंबर 700, मौजा सोनाघाटी बैतूल, तहसील एवं जिला बैतूल मध्य प्रदेश - 460001 स्थित है और जो आवरित है: उत्तर: विक्रेता एवं अन्य की भूमि, पूर्व: हाईवे नं. 69, पश्चिम: विक्रेता और अन्य की भूमि, दक्षिण: 20 फीट चौड़ी सड़क संपत्ति 2 सभी चल और अचल संपत्ति, जो खसरा संख्या 1152/15, भूतल पर फ्लैट संख्या जी-4 और प्रथम तल पर फ्लैट संख्या एफ-4, अग्नि टावर, चंद्रशेखर वार्ड ठिकारी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश -460001 फ्लैट संख्या जी-4 स्थित है और जो आवरित है: उत्तर: एमपीइबी चारदीवारी, पूर्व: बचले जी की ज़मीन, पश्चिम: फ्लैट संख्या जी-1, दक्षिण: सड़क और फ्लैट संख्या जी-5, फ्लैट संख्या एफ-4 उत्तर: एमपीइबी चारदीवारी, पूर्व: बचले जी की ज़मीन, पश्चिम: फ्लैट संख्या एफ-1, दक्षिण: सड़क और फ्लैट संख्या एफ-5	जुलाई 26, 2024	सितंबर 25, 2025	रू.24,28,003.56
श्री लोकेश तितोरे श्रीमती सुजाता तितोरे 20008340000283	सभी चल और अचल संपत्ति, जो सभी वर्तमान और भविष्य की संरचनाएँ सहित अंतिम प्लॉट संख्या 28, वार्ड संख्या 32, बी बी सिटी कॉलोनी, कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट, खसरा नंबर 221/12, पीएच नंबर 06, शहीद दीपसिंह चौहान वार्ड, इनसाइड छीपानेर रोड, हरदा, मध्य प्रदेश - 461331 स्थित है और जो आवरित है: उत्तर: प्लॉट नंबर 27, पूर्व: प्लॉट नंबर 3, पश्चिम: निस्तारी रास्ता, दक्षिण: प्लॉट नंबर 29	मई 31, 2025	सितंबर 24, 2025	रू.4,69,828.41

स्थानः मध्य प्रदेश **प्राधिकृत अधिकारी**
तारीखः सितंबर 30, 2025 **बंधन बैंक लिमिटेड**

HDB FINANCIAL SERVICES

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009

शाखा कार्यालयः - 202, 9/1/2, तृतीय तल खंडेलवाल बिजनेस पार्क-2, टीआई मॉल के पास, महात्मा गांधी रोड, साउथ तुकोगंज इंदौर (म.प्र.) 452001

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना (नियम 8(6) का परंतुक देखें)

ईएमडी और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि और समय 30.10.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 54) के अंतर्गत एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री

जबकि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसरण में हमारी शाखा में निम्नलिखित ऋण खातों में निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है, जिसमें एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बकाया की वसूली के लिए ''जहां है जैसा है, और जो है जैसा है, के आधार पर'' उसे बेचने का अधिकार है। बिक्री अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट https://bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी।

लॉट सं.	शाखा का नाम और खाता विवरण	बंधक संपत्ति का विवरण, जो नीलामी बिक्री और कब्जे की स्थिति में है	मांग सूचना की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का विवरण	ईएमडी जमा करने का खाता विवरण	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि/समय ईएमडी जमा करने की तिथि
			बकाया राशि (सुरक्षित डेब्टस्)			ईएमडी	
						बोली वृद्धि राशि	
	1) एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पेसिफिक टावर सेकंड फ्लोर सिटी सेंटर ग्वालियर बंधन बैंक के पास, मध्य प्रदेश 474002 **ऋण खाता संख्या 10340214, 15568189 विशिष्ट आईडी संख्या 78714269 से लिंक** **1. दीपांशु डिस्ट्रीब्यूटर एंड ट्रेडर्स-1 न्यू कुशल नगर गांधी नगर ग्वालियर ग्वालियर-474001 मध्य प्रदेश औरः मकान प्रॉपर्टी म्यु. सम्पत्ति नंबर 760 वार्ड नंबर 32 तेज सिंह कॉम्प्लेक्स के पास कुशल नगर ग्वालियर-474002** **2. निशांत मंगल एस-1 न्यू कुशल नगर गांधी नगर गिर्द अग्रवाल नर्सिंग होम ग्वालियर ग्वालियर मध्य प्रदेश-474002** **3. केशव लाल मंगल-1 न्यू कुशल नगर गांधी नगर गिर्द अग्रवाल नर्सिंग होम ग्वालियर ग्वालियर मध्य प्रदेश-474002** **4. मधु मंगल-1 न्यू कुशल नगर गांधी नगर अग्रवाल नर्सिंग होम ग्वालियर ग्वालियर मध्य प्रदेश-474002** **5. माँ कैलादेवी बायोमास इंडस्ट्रीज-1 न्यू कुशल नगर गांधी नगर ग्वालियर ग्वालियर मध्य प्रदेश-474001** **6. निशांत मंगल-1 न्यू कुशल नगर गांधी नगर कामनी प्लाजा ग्वालियर ग्वालियर-474002 मध्य प्रदेश**	प्रतिभूतियों की अनुसूची ।: सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान संपत्ति सं. 760 वार्ड संख्या 32 तेज सिंह कॉम्प्लेक्स के पास, कुशल नगर, ग्वालियर, कुल क्षेत्रफल 2120 वर्ग फुट, उत्तर - सड़क, दक्षिण - भूस्वामी की संपत्ति, पूर्व - आनंद बिल्डर्स की संपत्ति, पश्चिम - सड़क कब्जे की स्थिति - सांकेतिक कब्जा	16.12.2024 रु. 60,13,069.78 (रुपये साठ लाख तेरह हजार उनहत्तर और अड़हत्तर पैसे मात्र) 12.12.2024 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि	अंकुश विश्वकर्मा मोबाइल नं. 9752712456 ईमेल आईडी: la1.jabalpur@ hdbfs-com	**खाता नं.** 00210310002731 A/c Name-HDBFS GENERAL receipts, IFSC **कोड** HDFC0000021 **बैंकः** HDFC BANK LTD **शाखाः** HYDERABAD-LAKDIKAPUL MICR **कोड** 500240002.	**आरक्षित मूल्य रु. 1,57,85,000/- (रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख पिचासी हजार मात्र)** **ईएमडी राशिः- रु. 15,78,500/- (रुपये पंद्रह लाख अड्ढत्तर हजार पाँच सौ मात्र)**	**31.10.2025 प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक, प्रतिभागियों द्वारा दी गई उच्चतम बोली के बाद 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 30.10.2025 प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक**

नियम एवं शर्तें

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और संपत्ति पर होने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
2. ई-नीलामी ''जहां है, जैसी है'' ''जो है, जैसी है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा लेने के बाद आयोजित की जा रही है। सफल बोलीदाता/ओं को अपनी लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्राप्त करना होगा। यद्यपि बैंक सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करके कब्जा लेने में सहायता करेगा।
3. बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में स्वयं निरीक्षण करना और संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी में रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को 20.10.2025 से 30.10.2025 तक (कार्यालय समय के दौरान) करने की अनुमति होगी।
4. इच्छुक बोलीदाता वेब पोर्टलः https://bankeauctions.com के माध्यम से अपनी ईएमडी जमा करेंगे, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से https://bankeauctions.com पर नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। वेब पोर्टल में बोलीदाता द्वारा पंजीकरण (एक बार) के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार को बोली दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पहले वेब पोर्टल में अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ।) डिमांड ड्राफ्ट की प्रति, ।।) पैन कार्ड की प्रति, ।।) पहचान का प्रमाण/पता प्रमाण (केवाईसी) अर्थात मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्व-सत्यापित प्रति, इसके बिना बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी। अनुलग्नक-।। और ।।। की स्कैन की गई प्रति अपलोड करना (वेब पोर्टलः https://bankeauctions.com से डाउनलोड किया जा सकता है) विधिवत भरने और हस्ताक्षर करने के बाद भी आवश्यक है। इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली दस्तावेज जमा करने, ऑनलाइन इंटर-से-बोली पर प्रशिक्षण/प्रदर्शन आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं. 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा, पिनः 122003, ई-मेल आईडी andhra@c1india.com, सहायता हेल्पलाइन नंबरः 9948182222, बिक्री संबंधी पूछताछः support@bankeauctions.com, 9948182222, से संपर्क कर सकते हैं। और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, प्राधिकृत अधिकारीः श्री अंकुश विश्वकर्मा, मोबाइल नंबर 9752712456, ई-मेल आईडीः la1.jabalpur@hdbfs.com से सोमवार से शनिवार तक कार्य समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं।
5. इच्छुक बोलीदाता को अपने बोली दस्तावेज (ईएमडी (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) और आवश्यक दस्तावेज (बिंदु संख्या 4 में उल्लिखित)) 30.10.2025 को शाम 5:00 बजे तक जमा करने होंगे और पंजीकरण प्रक्रिया से (एक बार) गुजरने और अपना स्वयं का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद, वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, जो कि (दस्तावेजों का) उचित सत्यापन और/या अधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगा।
6. ऑनलाइन अंतर-बोली के दौरान, बोलीदाता अपनी बोली राशि को 'बोली वृद्धि राशि' (ऊपर उल्लिखित) या उसके गुणकों के अनुसार बढ़ा सकते हैं और यदि बोली ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के दौरान रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा (प्रत्येक बार ई-नीलामी प्रक्रिया के समापन तक), अन्यथा, यह स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी। ई-नीलामी प्रक्रिया के समापन पर जो बोलीदाता उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करेगा, उसे आवश्यक सत्यापन के बाद प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार द्वारा सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
7. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री विचार के लिए रखी जाएगी और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर, पहले से भुगतान की गई अग्रिम राशि को समायोजित करते हुए, बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या लिखित रूप में अधिकृत अधिकारी द्वारा और केवल उसके विवेक पर सहमत विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक होने की स्थिति में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को पुनः नीलामी में रखा जाएगा तथा चूककर्ता उधारकर्ता के पास संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
8. संभावित योग्य बोलीदाता ई-नीलामी की तिथि से पहले मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। न तो अधिकृत अधिकारी/एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और न ही मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किसी भी इंटरनेट नेटवर्क समस्या के लिए उत्तरदायी होंगे और इच्छुक बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।
9. क्रेता को लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/स्थानांतरण प्रभार, फीस आदि का भुगतान करना होगा तथा किसी को देय सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन प्रभार, फीस आदि का भी भुगतान करना होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को रोकना/स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
11. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने और ई-नीलामी में भाग लेने से पहले मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल https://bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
12. यह प्रकाशन फोर्स मेजर खण्ड के अधीन है।

विशेष निर्देश

13. बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं करें, जैसे कि बिजली आपूर्ति बैक-अप आदि, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता/गारंटर को ई-नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ वर्तमान ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी।

दिनांकः 30.09.2025 **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थानः मध्य प्रदेश **एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**